



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 आषाढ 1945 (१०)

(सं० पटना ५६२) पटना, मंगलवार, ११ जुलाई २०२३

सं० ४तक०/टेक्सटाइल पॉलिसी/१५२/२०२१-१९५६
उद्योग विभाग

संकल्प

१० जुलाई २०२३

विषय:-बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चमड़ी) नीति, 2022 का अवधि विस्तार 30 जून 2024 तक करने के संबंध में।

१. राज्य सरकार द्वारा राज्य में कपड़े एवं चमड़े के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चमड़ी) नीति, 2022 को स्वीकृति दी गयी थी, जिसे उद्योग विभाग के ज्ञापांक 1275 दिनांक 03.06.2022 द्वारा अधिसूचित किया गया है।

२. इस नीति के लागू होने के पश्चात् राज्य में कपड़े एवं चमड़े के क्षेत्र में निवेशकों को काफी प्रोत्साहन मिला है। राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद द्वारा चरण-१ के अंतर्गत इस नीति के लागू होने के पश्चात् ५९ (उन्सठ) इकाईयों को प्रथम चरण की स्वीकृति दी गयी है जिसमें प्रस्तावित निवेश की राशि ३११.६३ करोड़ (तीन सौ ग्यारह करोड़ तिरसठ लाख) रूपये है। इस नीति के लागू होने के पश्चात् मुजफ्फरपुर बैग कलस्टर प्रारम्भ हुआ है, जिसमें ११०० से अधिक औद्योगिक सिलाई मशीनों पर टेक्सटाइल बैग का निर्माण किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर एवं पटना जिलों में भी १००० से अधिक स्टीचिंग मशीनों के साथ टेक्सटाइल बैग बनाने की इकाईयाँ स्थापित हुईं। वस्त्र निर्माण (गारमेटिंग) की इकाईयाँ भी स्थापित हुईं। मुजफ्फरपुर में आर०एस०सी०एस० इंटरनेशनल, V-२ आदि कम्पनियों द्वारा वस्त्र निर्माण इकाईयों की स्थापना की जा रही है। चमड़ा क्षेत्र में सावी लेदर कम्पनी द्वारा मधुबनी में सौ करोड़ से अधिक लागत से परियोजना लगायी जा रही है।

परन्तु अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय बाजार में अधिक उत्पादन एवं कम माँग होने के कारण वस्त्र एवं चमड़ा उद्योग की रिथित वर्ष 2022-23 में अच्छी नहीं रही। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर माँग कम होने के कारण वस्त्र एवं चमड़ा निर्माण में लगी कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में क्षमता विस्तार नहीं किया गया है। अप्रैल, 2023 से बाजार में माँग में सुधार होना प्रारम्भ हो गया है। इसके कारण वस्त्र एवं चमड़े की कई कम्पनियों द्वारा राज्य में इकाईयों को लगाने पर विचार किया जा रहा है। उद्योग विभाग द्वारा इन्वेस्टर्स मीट आदि के माध्यम से अधिक-से-अधिक इकाईयों को राज्य में उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी इस प्रकार की इन्वेस्टर्स मीट में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया गया।

3. बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) नीति, 2022 की कंडिका-12.8 के अनुसार 30 जून 2023 तक आवेदन देने वाली इकाईयों को ही इस नीति के अनुसार लाभ देने का प्रावधान है। उपरोक्त कंडिका-12.8 में दी गयी जानकारी के अनुसार इस तिथि को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि और कम्पनियाँ राज्य में वस्त्र एवं चमड़े के क्षेत्र में निवेश करते हुये इकाईयाँ लगा सके।

4. बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) नीति, 2022 की कंडिका-12.8 के प्रावधान को संशोधित करते हुये आवेदन की अंतिम तिथि को 30 जून 2024 किया जाता है इस प्रकार नीति की कंडिका-12.8 निम्न प्रकार संशोधित समझा जायेगा :-

- (i) चरण 1:- चरण-1 की मंजूरी के लिए आवेदन अधिकतम 30.06.2024 तक उद्योग विभाग (डी०ओ०आई०) के एकल खिड़की मंजूरी पोर्टल पर जमा किया जायेगा।
- (ii) वित्तीय मंजूरी :- वित्तीय मंजूरी के लिए आवेदन उद्योग विभाग के एकल खिड़की पोर्टल पर अधिकतम 30 जून, 2025 तक जमा किया जायेगा।

आदेश से,
संदीप पौण्डरीक,
अपर मुख्य सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 562-571+500-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>